



आवेश

तारीख 20-1-17
क्रमांक 01
प्राजिका संख्या 201-0
दिनांक 12-12-16

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-08 बी/यू.सी.पी./06/29/2016/एफ.सी./79 दिनांक 15.04.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से रांशी मोटर मार्ग हेतु 10.8 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 21.600 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर तथा पत्र संख्या-08 बी/यू.सी.पी./06/27/2015/एफ.सी./2472 दिनांक 25.02.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गस्कू जिमाफी-कुरीला मोटर मार्ग हेतु 12.035 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 24.070 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में उक्त परियोजनाओं के निर्माण में आ रही 22.835 है० वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी धारचूला की सहमति/संस्तुति के आधार पर ग्राम रांशी पट्टी रांशी तहसील धारचूला के गैर ज.वि. खतोनी गैर ज.वि. खतोनी खाता संख्या-357 श्रेणी-9(3) ख(2) झाड़ी के खेत नम्बर-78 रकबा 20.391 है०, 79 रकबा 25.279 है० कुल 02 खेतों की 45.670 है० सिविल भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।
दिनांक दिसम्बर 07, 2016


(डॉ० रजित कुमार सिन्हा)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या-377/सात-05/2016-17

दिनांक दिसम्बर 13, 2016

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
 4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड धारचूला।
 5. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्वेश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(डॉ० रजित कुमार सिन्हा)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

गैर ज०वि० नकल खतौनी

ग्राम-रौंथी

फसल- ग्राम-रौंथी

पट्टी -

श्रेणी - 9 (3) ख (2) झाड़ी

खाता नं०	नाम-खातेदार	जोतक का वर्ष	खेत नं०	क्षेत्रफल	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
357			2	10.16		श्रीमान जिलाधिकारी के पत्र सं०- 377/सात-05/2016-17 दिनांक दिसम्बर 13/2016 एवं शासनादेश सं०- 2173/XV/III(I)/2012 18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार (टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग से रौंथी मोटर मार्ग व गस्कू जिनाफी से कुरीला मोटर मार्ग 22.835 हे० वनभूमि के बदले 45.670 हे० भूमि खसरा न० 78 मध्य 20.391 हे० व खसरा न० 79 मध्य 25.279 हे० कुल 45.670 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
			3	25.083		
			7	7.831		
		कमश:				
			8	0.352		
			37	1.138		
			76	7.711		
		कमश:				
			78	20.391		
			79	29.336		
			80	3.636		
		कमश:				
			82	3.876		
			83	10.406		
			93	18.243		
		योग	12	138.167	हेक्टर	

महोदय

असल से नकल कर खतौनी नकल तैयार किया।

1
श्रीमान जिलाधिकारी
वन विभाग
जिला-सिन्धुगढ